

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1979/श्रावण 8, 1901
No. 242] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1979/SRAVANA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1979

सा. का. नि. 462 (अ)/आव. व. चीनी.—केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 15 के साथ पठित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और महकरीवा मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1750/आव. व/चीनी, तारीख 20 नवम्बर, 1967 को अधिकांश करते हुए, निवेश देती हैं कि उक्त आदेश के खंड 4, 5, 6, 10 और 11 द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के मुख्य निदेशक, अपर मुख्य निदेशक, निदेशक या उपनिवेशक, ज्येष्ठ लागत और लेखा अधिकारी या चीनी निदेशालय में लागत और लेखा अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा।

2. यह अधिसूचना सुन्त प्रवृत्त होगी ।

[सं. 13-1/79-एस पी वाइ (डस्क-2)]

सी. एन राघवन, संयुक्त सीक।

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1979

G.S.R. 462(E)/Ess./Com. Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966 and in supersession of the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Food) Notification No. G.S.R. 1750/Ess. Com./Sugar, dated 20th November, 1967, the Central Government hereby directs that the power conferred upon it by clauses 4, 5, 6, 10 and 11 of the said Order shall be exerciseable also by the Chief Director, Additional Chief Director, a Director or a Deputy Director, Senior Cost and Accounts Officer or a Cost and Accounts Officer in the Directorate of Sugar, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Department of Food).

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 13-1/79-SPY (Desk II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.